X

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

10.1 मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

स.बा.वि.से. योजना उसके मानीटरिंग के लिए आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) से परियोजना मुख्यालय, जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और अंत में मंत्रालय नियमित रिपोर्टों और विवरणों के माध्यम से एक उर्ध्वगामी अन्तविहित प्रणाली पर बल देती है। योजना के मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण तीन-टियर व्यवस्था अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और समुदाय स्तर।

10.2 राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण

राष्ट्रीय स्तर पर स.बा.वि.से. के मॉनीटरिंग और मूल्यांकन की समग्र संरचना नीचे आरेख में दर्शाया गया हैः

चार्ट 10.1: केन्द्रीय स्तर पर अनुश्रवण संरचना

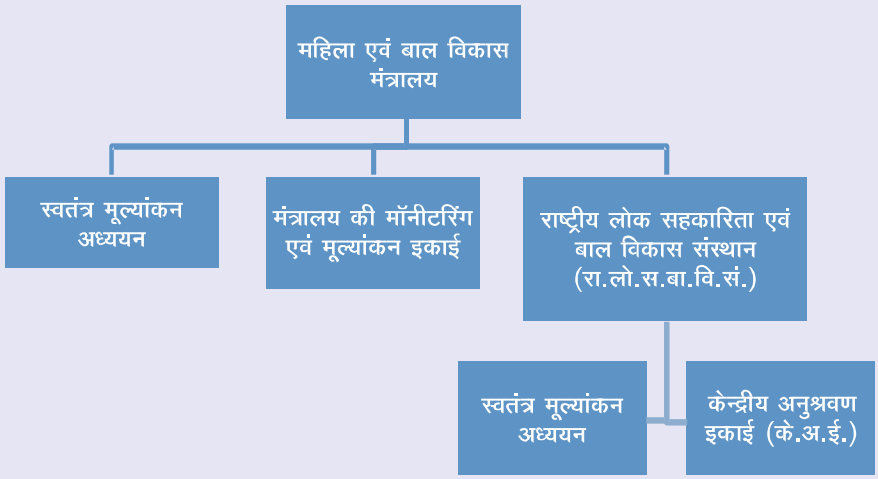

10.3 केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) द्वारा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

10.3.1 के.मॉ.इ. की स्थापना

मंत्रालय की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मॉ. एवं मू.) इकाई 2006-07 तक योजना का एकमात्र मॉनीटर था। योजना के विकास को ध्यान में रखते हुए, 2006-07 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) के माध्यम से स.बा.वि.से. योजना की नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षक क्रियाविधि स्थापित करने का निर्णय लिया। इसकी स्थापना का विद्यमान मा. एवं मू. इकाई के अतिरिक्त, केन्द्रीय

मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) के रूप में की गई। के.मॉ.इ. की स्थापना एक परामर्श की नियुक्ति के साथ जनवरी 2007 में राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान रा.सा.स.बा.वि.स. में की गई।

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, रा.सा.स.बा.वि.सं. केन्द्रीय स्तर पर वांछित कार्य की उपलब्धि के लिए संविदा आधार पर, लोक स्वास्थ्य, पोषण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प.), पूर्व बाल शिक्षा, सांख्यिकी तथा स.बा.वि.से. प्रशासन प्रत्येक में विशेषज्ञ, छः व्यावसाहिक परामर्शदाताओं के दल को के.मॉ.ई. के लिए किराए पर लेने के लिए उत्तरदायी था।,

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-11 की अवधि के दौरान, अधिक समय तक केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.ई.) के कार्य, बिना व्यावसायिक परामर्शदाता के चल रहे रहे थे। जनवरी 2007 से मार्च 2009 के दौरान मंत्रालय का एक सेवानिवृत्त अधिकारी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा था। अप्रैल से अक्तूबर 2007 के दौरान के.मॉ.ई. में अन्य परामर्शदाता कार्य रहा था। अप्रैल 2009 से के.मॉ.इ. बिना किसी परामर्शदात के कार्य कर रही थी।

राज्य स्तर पर रा.सा.स.बा.वि.सं. को स.बा.वि.से. परियोजनाओं तथा आं.के. पर उनके दौरे के माध्यम से पूर्व-निर्णयक पैरामीटरों पर के.मॉ.इ. के मॉनीटर इनपुट उपलब्ध करने के लिए शैक्षिक संस्था की पहचान एवं नियुक्ति की जानी अपेक्षित थी। तथापि, 2008-09 में 42 शैक्षिक संस्थानों को बाद में चयनित संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था। रा.सा.स.बा.वि.सं. के चार क्षेत्रीय केन्द्रों को मॉनीटरिंग करने के साथ सम्मिलित भी किया गया था। राज्यों में मॉनीटरिंग एवं परीवीक्षण परियोजना अंततः अक्तूबर 2008 में कार्यशील हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि यद्यपि के.मॉ.इ. की स्थापना के लिए वित्तीय संस्वीकृति दिसम्बर 2006 में प्रदान की गई थी, उसी के लिए प्रशासनिक अनुमोदन फरवरी 2008 में दिया गया था। परामर्शदाताओं की नियुक्ति के प्रयासों में विफलता, पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की कम प्रतिक्रिया के कारण तथा पद के लिए प्रस्तावित अपर्याप्त मानदेय के कारण दो चयनित उम्मीदवारों की कार्य ग्रहण की अनिच्छा के चलते हुई थी।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि के.मॉ.इ. की स्थापना के पाँच वर्षों से अधिक समय बाद, रा.सा.स.बा.वि.सं. ने परामर्शदाताओं के लिए मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव किया था। यह रा.सा.स.बा.वि.सं. के हिस्से पर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।

10.3.2 केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) द्वारा निधियों के उपयोग में कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.सा.स.बा.वि.सं., मंत्रालय द्वारा के.मॉ.इ. के लिए अनुमोदित निधियों का उपयोग करने में विफल रहा। नवम्बर 2006 में बारह महीनों की अवधि के

लिए अनुमोदित ₹1.40 करोड़ के बजट के प्रति, रा.सा.स.बा.वि.सं. 2009-10 तक ₹74.65 लाख उपयोग कर सका। के.मॉ.इ. के पहले 41 महीनों के कार्य के दौरान, रा.सा.स.बा.वि.सं. ने 12 महीनों के लिए चिन्हित बजट का केवल 53 *प्रतिशत* उपयोग किया था। इसी प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान, रा.सा.स.बा.वि.सं. ₹24.27 लाख (₹1.38 करोड़ के बजट का 18 *प्रतिशत*) उपयोग कर सका। के.मॉ.इ. द्वारा मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के अंतर्गत निधियां के उपयोग में कमी के परिणामस्वरूप कम भौतिक उपलब्धियों के रूप में परिलक्षित होता था। जिसकी अनुवर्ती टिप्पणियां में चर्चा की गई है।

10.3.3 समवर्ती मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) के मार्गदर्शन के अंतर्गत स.बा.वि.से. की बाहरी अभिकरणों/व्यावसायिक निकायों के माध्यम से प्रत्येक तीन से पांच वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर बच्चों के पौषणिक स्थिति के परिणामों को दर्शाने के लिए एक समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.मॉ.इ. ने मार्च 2012 तक, योजना परिणामों और बच्चों की पौषाणिक स्थिति पर स.बा.वि.से. का कोई समवर्ती मूल्यांकन नहीं किया था। के.मॉ.इ. ने जबकि इनपुट संकेतकों पर समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की थी। जिसके लिए डाटा राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान रा.सा.स.बा.वि.सं. द्वारा चयनित 42 राज्य स्तर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजा गया था। रिपोर्ट अन्य मामलों जैसे आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) की अवसंरचना, स.बा.वि.से. कार्यकर्ताओं की विवरणी, आपूर्ति की स्थिति, बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.)/पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, समुदाय भागीदारी की स्थिति, स.बा.वि.से. सुपुर्दगी स्थिति आदि पर केन्द्रित थी। के.मॉ.इ. ने मुख्यतः समवर्ती मूल्यांकन के लिए चयनित संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए चिकित्सा कालेजों (34), गृह विज्ञान (5) तथा सामाजिक विज्ञान (3) के संकायों का चयन किया था। तथापि, यह योजना परिणामों तथा बच्चों की पौषाणिक स्थिति के समवर्ती मूल्यांकन को संचालित करने के लिए उनकी सेवाओं का प्रयोग करने में विफल रही।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्टों को तैयार करने के लिए प्रयोग किया गया डाटा समवर्ती नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित डाटा जुलाई 2010 की रिपोर्ट तैयार करने में पहले प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार, जुलाई 2010 की रिपोर्ट में मार्च 2009 की रिपोर्ट का डाटा सम्मिलित था। इस प्रकार, जनवरी 2012 में प्रकाशित मूल्यांकन रिपोर्ट में मार्च 2009 का पुराना डाटा सम्मिलित था।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट, अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2010 के दौरान दौरा की गई 433 परियोजनाओं तथा 2353 आं.के. के दौरों से प्राप्त डाटा के आधार पर बनाई गई थी। तथापि, यह पाया गया कि 433 परियोजनाओं और 2353

आं.के. में से 18 चयनित संस्थानों से 153 परियोजना और 869 आं.के. के संबंध में कोई रिपोर्ट के.मॉ.इ. को प्राप्त नहीं हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि योजना आयोग की पहल के साथ जिसने राष्ट्रीय स्तर पर स.बा.वि.से. योजना का मूल्यांकन आरंभ किया था, इसके दोहराव से बचने के लिए के.मॉ.इ. द्वारा समवर्ती मूल्यांकन नहीं किया था। इससे आगे, के.मॉ.इ. की जनवरी 2012 की रिपोर्ट में कुछ नये पैरामीटरों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) वृद्धि मानक, स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) तथा माता और बाल सुरक्षा कार्ड (मा.बा.सु.का.) कार्ड पर डाटा सम्मिलित थे तथा रिपोर्ट पुराने डाटा पर पूर्ण रूप से आधारित नहीं थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए के.मॉ.इ. द्वारा अपनी रिपोर्ट में पुराने डाटा का प्रयोग करने की परंपरा को बन्द कर दिया है।

उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए था कि के.मॉ.इ. की स्थापना का मुख्य लक्ष्य परिणाम संबंधी संकेतकों पर आंतरिक एवं समवर्ती मॉनिटरिंग के प्रति मंत्रालय को निरंतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना था, जबकि योजना आयोग ने योजना का बाहरी मूल्यांकन किया था। योजना के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए दोनों आवश्यक थे और मॉनिटरिंग प्रयासों की दोहराव की धारणा गलत थी। इसके अतिरिक्त, जबकि के.मॉ.इ. ने अपने प्रतिवेदन में कुछ प्रक्रिया संकेतकों जैसे दिए गए अनुपूरक आहार (अ.आ.) की किस्म, अ.आ. में बाधाएं, वि.स्वा.सं. के वृद्धि चार्टों की उपलब्धता तथा उनका प्रयोग, स्कू.पू.शि. की पद्धतियां, मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षक पद्धतियां आदि को शामिल किया था, फिर भी यह योजना के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेप के प्रभाव तथा दक्षता पर सूचना प्रकट करने में विफल रहा। चिकित्सा, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यावसायिकों की नियुक्ति द्वारा के.मॉ.इ. से यह आशा की गई थी कि यह पौषणिक दृष्टिकोण तथा परिणाम संकेतकों की उपलब्धि पर रिपोर्ट देगा।

10.3.4 प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से मॉनीटरिंग

मॉनीटरिंग पर दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) को स.बा.वि.से. इकाईयों और चयनित संस्थानों से आवधिक सूचना प्राप्त करनी थी। के.मॉ.इ. द्वारा नमूना जांच/फील्ड दौरो के माध्यम से प्राप्त डाटा की विश्वसनीयता को सत्यापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.मॉ.इ. ने राज्यों/सं.शा.क्षे. से मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि) तिमाही प्रगति रिपोर्ट (ति.प्र.रि) तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (वा.प्र.रि) प्राप्त नहीं की थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 35 राज्यों/सं.शा.क्षे. से प्रत्येक वर्ष में प्राप्य 420 मा.प्र.रि. के प्रति, के.मॉ.इ. ने 2008-09 में 12 राज्यों से 110 मा.प्र.रि.,2009-10 में आठ राज्यों से 81 मा.प्र.रि. तथा 2010-11 में नौ राज्यों से 84 मा.प्र.रि. प्राप्त की थी।

- के.मॉ.इ. ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान किसी भी राज्य/सं.शा.क्षे. से ति.प्र.रि. प्राप्त नहीं की थी।
- के.मॉ.इ. ने 2008-09 में तीन राज्यों से वा.प्र.रि. प्राप्त की थी। 2009-10 एंव 2010-11 के दौरान किसी भी राज्य/सं.शा.क्षे. से कोई भी वा.प्र.रि. प्राप्त नहीं हुई थी।

के.मॉ.इ. ने बताया कि परियोजनाओं के दौरों के दौरान मंत्रालय और राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) के परामर्शदाताओं/अधिकारियों द्वारा डाटा की हर तरह से जांच की जाती थी। तथापि, डाटा का हर तरह से जांच करने के संबंध में सत्यता सुनिश्चित करने का कोई दस्तावेज दर्ज नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कई राज्यों, द्वारा निरंतर प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इसके अतिरिक्त, उसने हर तरह से जांच करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया को अपनाने संबंधी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर विचार किया था।

10.3.5 केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) पर अनुवर्ती कार्रवाई

मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के एक भाग के रूप में, रा.सा.स.बा.वि.सं. संकाय सदस्यों ने अक्तूबर 2009 और मार्च 2010 के बीच अपने अधीन 44 स.बा.वि.से. परियोजना, 228 आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) तथा 22 राज्यों/सं.शा.क्षे के 22 आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (आ.का.प्र.के.) मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (म.स्त.प्र.के.) का दौरा किया था। स.बा.वि.से. के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के विवरण और स्थिति को सुधारने के सुझाव की एक रिपोर्ट नवम्बर 2010 में मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के मूल निष्कर्ष में भवन की घटिया स्थिति को शामिल करते हुए अपर्याप्त अवसंरचना उपकरण और दवाई किटों की अनुपलब्धता, संदर्भ सामग्री और पुस्तिकाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, निपुण और अनुभवी प्रशिक्षकों का अभाव, अधिकारियों को प्रशिक्षण की कमी सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने उपचारी उपाय करने के लिए फरवरी 2011 में संबंध राज्यों/सं.शा.क्षे. को रिपोर्ट अग्रेषित की थी। तथापि, रिपोर्ट में उल्लेखित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा किए गए कोई सुधारात्मक उपाय अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। मंत्रालय इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने में भी विफल रहा।

इसके अलावा, के.मॉ.इ. ने अपने मार्गदर्शन में बाहरी व्यावसायिकों द्वारा योजना के समवर्ती मूल्यांकन पर आधारित आं.के. और म.स्त.प्र.के. पर रिपोर्ट भी तैयार की थी। तथापि, निरंतर होने वाली कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय अभिलेखों में नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि पाँच टियर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षक योजना को लागू करने तथा संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) से, के.मॉ.इ. रिपोर्टों में प्रकट हुई कमियों की देखभाल हो सकेगी।

उपर्युक्त अभ्युक्तियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि के.मॉ.इ. अपने लिए निर्धारित स्टाफ संख्या के साथ कार्य नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त, चिन्हित निधियों का एक छोटा भाग ही उपयोग कर सकी, इससे प्रकट था कि वे अपने गठन के सभी मुख्य मोर्चों पर अल्प निष्पादन कर रही थीं।

अनुशंसाएं

- ***मंत्रालय को के.मॉ.इ. की क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि इसे योजना के मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए मंत्रालय के कार्य में सक्षम ईकाई के रूप में विकसित किया जा सके। के.मॉ.इ. की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट किया जाए ताकि योजना के मॉनीटरिंग में सम्मिलित अन्य एजेंसियों के साथ उसके प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।***
- ***मंत्रालय को मॉनीटरिंग और मूल्यांकन रिपोर्टों से प्रकट हुई कमियों पर की गई कार्रवाई पर आवधिक मॉनीटर की पद्धति विकसित करनी चाहिए।***

10.4 मॉनीटरिंग और मूल्यांकन इकाई द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग

मंत्रालय में मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मॉ एवं मू.) इकाई निर्धारित प्रपत्रों में राज्यों द्वारा तैयार की गई आवधिक कार्य रिपोर्टों के संकलन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इकाई, योजना के दो घटकों को अर्थात अनुपूरक आहार (अ.आ.) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) की मॉनीटरिंग कर रही थी। वह केवल इन दो सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या की मॉनीटरिंग कर रहा था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की पौषणिक स्थिति का कोई मूल्यांकन नहीं किया था। प्रभाव-आकलन नहीं किया जा रहा था। पौषणिक स्थिति पर आकड़ों को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों से संकलित किया जा रहा था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की पौषणिक स्थित का मूल्यांकन नहीं किया था। यह कार्य के.मॉ.इ. को सौंपा गया था। तथापि, के.मॉ.इ. की निष्फलता को ध्यान में रखकर, मंत्रालय योजना के परिणाम-संकेतकों की मॉनीटरिंग नहीं कर पा रहा था। तथापि, के.मॉ.इ. के प्रदान न किए जाने की विफलता को देखते हुए, मंत्रालय निष्कर्ष संकेतकों पर योजना को मॉनीटर नहीं कर सका था।

इन दो घटकों की मॉनीटरिंग इनपुट-आउटपुट संकेतकों अर्थात आधारभूत संरचना सहायता, मानवशक्ति, लाभार्थियों की संख्या आदि पर ही एकाग्र रही। लेखापरीक्षा ने मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा भेजे गए डाटा (जैसे संस्वीकृत पदों/आं.के./पदाशीन व्यक्तियों/व्यय आंकड़े) तथा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित डाटा के दो समूहों में लेखापरीक्षा ने अंतर के कई उदाहरण पाए (पैराग्राफ 3.3, 5.1.3, 6.2.1, 6.3.3 और 6.5.2 देखें) ।

मंत्रालय योजना के अन्य चार घटकों को मॉनीटर नहीं कर रहा था। प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जॉच और संबंधित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मॉनीटर किए जाने के बारे में बताया गया था। राज्य सरकारों द्वारा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा को मॉनीटरीकरण अपेक्षित था। मंत्रालय को इन घटकों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो रही थी। इस प्रकार, मंत्रालय योजना के इन घटकों के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दी की प्रभावकारिता का निर्धारण नहीं कर पा रहा था।

मंत्रालय द्वारा योजना की मॉनीटरिंग उसके संघात्मक पहलू तक सीमित रही। गुणात्मक मानकों पर मॉनीटरिंग जैसे बच्चों की पोषणिक स्थिति तथा योजना की प्रभावकारिता उसके शुरू होने के तीन तथा आधे दशक के बाद भी उपेक्षित रही।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को योजना के अंतर्गत परिणाम संकेतकों का विकास और उसकी उपलब्धि का आवधिक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।***

10.4.1 आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) पर डाटा को रिपोर्ट करने में कमी

नमूना जांच से पता चला कि मंत्रालय के मॉ. एवं मूं. अनुभाग की योजना के दो घटकों अर्थात अनुपूरक आहार (अ.आ.) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.), की मॉनीटरिंग सभी कार्यशील आं.के. से प्राप्त डाटा के आधार पर नहीं थी। लेखापरीक्षा ने इन दो घटकों पर उपलब्ध डाटा के संबंध में आं.के. की संख्या की तुलना में कुल कार्यशील आं.के. कम पाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटाबेस अनुपूरक आहार (अ.आ.) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) की 21 दिन से अधिक सेवाएं प्रदान करने वाली आं.के. की संख्या पर वार्षिक ब्यौरे को दर्शाता था। मंत्रालय के पास शेष आं.के. द्वारा किस सीमा तक सेवाएं प्रदान की गई, इससे संबंधित स्थिति उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2006-11 के दौरान मार्च माह में आं.के. की रिपोर्ट करने तथा 21 दिन से अधिक अ.आ. और स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के. की संख्या तालिका 10.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 10.1: आं.के. की संख्या जिनके संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था (मार्च की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार)

वर्ष	कार्यशील आं.के. की सं.	आं.के. जिनके संबंध में डाटा उपलब्ध नही था		आं.के. के सबंध में अ.आ. (महीने के 21 दिन) के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था		आं.के. जिनके संबंध में स्कू.पू.शि. (महीने के 21 दिन) का डाटा उपलब्ध नहीं था	
		संख्या	*प्रतिशत*	संख्या	*प्रतिशत*	संख्या	*प्रतिशत*
2006-07	8,44,743	21,160	2.50	91,954	10.89	41,759	4.94
2007-08	10,13,337	42,685	4.21	97,896	9.66	40,441	3.99
2008-09	10,44,269	41,693	3.99	1,08,664	10.41	55,920	5.35
2009-10	11,42,029	59,372	5.20	1,27,486	11.16	99,538	8.72
2010-11	12,62,267	59,342	4.70	1,50,381	11.91	1,32,825	10.52

तालिका दर्शाती है कि 0.21 लाख से 0.59 लाख कार्यशील आं.के. (3 से 5 *प्रतिशत*) के संबंध में, मंत्रालय के पास डाटा उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 0.92 लाख से 1.50 लाख आं.के. के संबंध में अ.आ. पर डाटा उपलब्ध नहीं थे तथा 0.40 लाख से 1.33 लाख (4 से 11 *प्रतिशत*) आं.के. के संबंध में स्कू.पू.शि. पर डाटा में कमी थी। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 10.1 और 10.2** में दिए गये हैं।

स.बा.वि.से. के दो अति महत्वपूर्ण घटकों पर पूर्ण डाटाबेस का अभाव मंत्रालय द्वारा की गई योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन की कमियों को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई और नवम्बर 2012) कि आं.के. की अधिक संख्या तथा कुछ बाल विकास परियोजना अधिकारी/आंगनवाडी कार्यकर्ता (आ.का.) छुट्टी पर या प्रशिक्षण पर होने तथा अन्य कारकों जैसे डाक में देरी के कारण, बा.वि.प.अ. द्वारा कुछ आं.के. रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई थीं। इसके परिणामस्वरूप आं.के. पर डाटा संबंधी रिपोर्ट में कमी रही।

10.5 केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन

मंत्रालय ने योजना के विकास पर बल दिए जाने को विचारते हुए 2007-08 में स.बा.वि.से. के अंतर्गत दो केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशनों को आरंभ करने का निर्णय लिया। मिशन को मंत्रालय से दो अधिकारी, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) से दो संकाय सदस्य तथा बाहर से विशेषज्ञ के एक केन्द्रीय दल द्वारा फील्ड स्तर पर योजना के प्रभाव के विश्लेषण हेतु वर्ष में एक बार चयनित राज्यों का दौरा करना था। दल का राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सामाजिक दृष्टि दोनों से संबंधित क्षेत्रों में समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करनी थी। ऐसे क्षेत्रों की मॉनीटरिंग तब तक केन्द्रीकृत करनी थी जब तक भविष्य पर्यवेक्षण मिशन इनका आकलन कर इनकी कमियां दूर कर लें। मिशन से मॉनीटरिंग क्रियाविधि को मजबूत करने के लिए अनुशंसाएं तथा प्रतिवेदन देना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-11 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पर्यवेक्षण न होने के कारण मिशन को शुरू करने हेतु दिशानिर्देशों के तहत स्थापित महत्वपूर्ण उद्देश्य अप्राप्य रहे। दूसरी तरफ, केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) ने बताया कि मंत्रालय के सचिव एवं संयुक्त सचिव ने राज्यों के साथ स.बा.वि.से. के कार्यान्वयन पर थोड़े-थोड़े समय पर समीक्षा की थी। इसने, आगे सूचित किया कि इन बैठकों में के.मॉ.इ./रा.सा.स.बा.वि.सं. परामर्शदाताओं द्वारा संबंधित क्षेत्रों पर तैयार की गई रिपोर्टों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी।

मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन पर समीक्षा तथा राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों का गठन, योजना की मॉनीटरिंग का एक अनिवार्य घटक था। तथापि, यह केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन का स्थानापन्न नहीं था जिससे उच्चतम स्तर पर

कार्यक्रम कार्यान्वयन की समस्याओं की पहचान तथा अपनी अनुशंसाओं की अनुपालना की मॉनीटरिंग करने की अपेक्षा थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि 2010-11 के दौरान चूंकि योजना के अंतर्गत मॉनीटरिंग कार्यविधि विचाराधीन थी, के.मॉ.इ. अपना केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन आरंभ नहीं कर सकी थी। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ नोट कर ली गई है।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को यथासंभव शीघ्र प्रबंधन, शैक्षणिक बाल स्वास्थ्य व्यावसायिकों, सिविल समाज और अन्य पणधारियों से सदस्यों के अधिक प्रतिनिधित्व के साथ प्रधान केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन आरंभ करना चाहिए।***

10.6 राज्य दौरे

मंत्रालय तथा रा.सा.स.बा.वि.सं. से वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों तथा परियोजनाओं का दौरा तथा राज्य सरकार के समकक्ष अधिकारियों के साथ बैठकें करना अपेक्षित था यह आंकलन करने के लिए कि क्या निष्पादन संतोषजनक था। उन्हें स.बा.वि.से. कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे अनुपूरक आहार योजना का प्रावधान, लाभार्थियों की संख्या, मूलभूत संरचना सुविधा की उपलब्धता, वजन करने का कार्यात्मक स्केल, भोजन पकाने के बर्तन आदि की मॉनीटरिंग करनी थी। उन्हें यह भी देखना था कि बच्चों का वजन, प्रतिरोधी-टीकाकरण तथा उनकी पौषणिक स्थिति का वृद्धि चार्ट में नियमित रूप से अभिलेखन हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-07 से 2009-10 वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों का स.बा.वि.से. परियोजनाओं में संचालित दौरों का अभिलेख नहीं था। मंत्रालय ने इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

वर्ष 2010-11 के दौरान, मंत्रालय के अधिकारियों ने 16 राज्यों का दौरा किया। इसके अलावा, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.) के अधिकारियों ने भी 27 राज्यों/सं.शा.क्षे. में विभिन्न आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) का निरीक्षण किया। मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के दौरान उसके अधिकारियों के दौरों के आधार पर एक रिपोर्ट संकलित की थी। यह पाया गया कि खा.पो.बो. के अधिकारियों ने केवल आं.के. की इमारतों, पंजीकृत लाभार्थियों की तुलना में उपस्थित तथा आं.के. में उपलब्ध लाभार्थियों की औसत संख्या पर रिपोर्ट दी थी। स.बा.वि.से. कार्यान्वयन के अन्य पहलुओं की दौरा अधिकारियों ने मॉनीटरिंग नहीं की। इस प्रकार, स.बा.वि.से. के फील्ड कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क के माध्यम से योजना के गुणात्मक पहलुओं पर मॉनीटरिंग इनपुट प्राप्त करने का अवसर, जिससे योजना के अंतर्गत भविष्य में हस्तक्षेप का निर्धारण सुनिश्चित किए जाने के लिए बहुत कम उपयोग किया गया।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को उसके अधिकारियों द्वारा दौरे रिकार्ड के उचित अभिलेखों को सुनिश्चित करते हुए दौरों के माध्यम से स.बा.वि.से. परियोजना और आं.के. की मॉनिटरिंग को सरल और कारगर बना देना चाहिए। तत्पश्चात बाद में, अधिकारियों को दौरे के निष्कर्ष पर अनुपालना/कार्रवाई रिपोर्ट का भी प्रलेखन किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई को सुगम बनाया जा सके।***

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया है।

10.7 राज्य स्तर मॉनीटरिंग

10.7.1 राज्य पर्यवेक्षण मिशन

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) द्वारा चयनित 42 शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष एक या दो राज्य पर्यवेक्षण मिशन शुरू करने थे। राज्य पर्यवेक्षण मिशन को लाभार्थियों के कवरेज, सेवा सुपुर्दगी प्रणाली, अभिलेखों और रजिस्टरों का अनुरक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करना था। परामर्शदाताओं से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, राज्य पर्यक्षण मिशन दल को चयनित स.बा.वि.से. परियोजनाओं, आंगनवाडी केन्द्रों (आ.के.), मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (म.स्त.प्र.के.) तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों (आं.का.प्र.के.) का दौरा करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित संस्थाओं ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान किसी भी राज्य पर्यवेक्षण मिशन की शुरूआत नहीं की गई थी। के.मॉ.इ. ने बताया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रा.सा.स.बा.वि.सं. के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे थे। यह भी बताया गया कि चूंकि मंत्रालय के मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मॉ. एवं मू.) इकाई पहले से ही राज्य पर्यवेक्षण मिशन शुरू कर चुका था, इसलिए दोहराव से बचने के लिए ऐसे मिशन, के.मॉ.इ., द्वारा, शुरू नहीं किए गए थे।

के.मॉ.इ. का तर्क स्वीकार्य नहीं था। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य पर्यवेक्षण मिशनों की शुरूआत चयनित संस्थाओं द्वारा अपने संबंधित राज्यों में की जानी थी तथा उन्हें अपनी रिपोर्ट के.मॉ.इ. को प्रस्तुत करनी थी। मंत्रालय के अधिकारियों/ रा.सा.स.बा.वि.सं. द्वारा राज्यों के दौरों का के.मॉ.इ. द्वारा चयनित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा शुरू किए गये राज्य पर्यवेक्षण मिशन से कोई संबंध नहीं था।

10.7.2 आंकड़ों में विसंगति

जिला प्रकोष्ठों से प्राप्त सभी मासिक प्रगति रिपोर्टों (मा.प्र.रि.) को राज्य स्तर पर समेकित किया जाता है और एक समेकित मा.प्र.रि. (जिला प्रकोष्ठों की मा.प्र.रि. पर आधारित)

मंत्रालय को पेश की जाती है। रिपोर्टों के विभिन्न सेटों के आंकड़ों में पाए गए अंतरों की चर्चा नीचे की गई है:

कर्नाटकः 2008-09 से 2010-11 वर्षों के लिए योजना के अनुपूरक आहार घटक के अंतर्गत लाभार्थियों के बारे में राज्य नोडल विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए विवरण इसी अवधि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से भिन्न थे। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 10.2: कर्नाटक राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा में अंतर

वर्ष	बच्चों की संख्या (6 महीने से 72 महीने)		गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या	
	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार	भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार	महानिदेशक द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत उप.प्र. के अनुसार
2008-09	3230482	3245029	801226	803920
2009-10	3411481	3472324	847913	850754
2010-11	3559320	3235495	885406	885406

पश्चिम बंगालः मार्च 2011 तक, नमूना जांच में शामिल पांच जिलों में परिचालित 39,088 आं.के. की अपेक्षा, राज्य अभिलेखों में 39,596 आं.के. दर्शाए गए थे अर्थात् 508 आं.के. की अधिकता। इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि नियमित स्टाफ की भर्ती लंबित होने के कारण कुछ नए आं.के., पास के आं.के. में कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) और आंगनवाडी सहायक (आं.स.) की सहायता से खोले गए थे। परन्तु इन आं.के. को बिना नियमित स्टाफ के लंबे समय के लिए जारी नहीं रखा जा सका और राज्य के आंकड़े अपरिवर्तित रहे। यह उत्तर डाटा की अद्यतन प्रणाली में कमियां दर्शाता है, जिससे कि राज्य स्तरीय डाटा की विश्वसनीयता पर संदेह होता है।

रिपोर्टों के विभिन्न सेट में अंतर यह दर्शाता था कि वास्तविक आंकड़े मंत्रालय को सूचित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, स.बा.वि.से. के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति से मंत्रालय अनभिज्ञ था। इस समस्या को योजना आयोग द्वारा योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया था।

10.8 परियोजना तथा आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) स्तरों पर मॉनीटरिंग

10.8.1 बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) द्वारा पर्यवेक्षण

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. से आं.के. के फील्ड दौरे एक महीने में कम से कम 18 दिन, मुख्यालय के बाहर 10 रात्रि-प्रवासों के साथ करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 राज्यों[1] में 47 जिलों की 193 नमूना जांच की गई परियोजनाओं में, 2006-07 से 2010-11 के दौरान बा.वि.प.अ. ने आं.के. के 4.61 लाख दिनों के अपेक्षित दौरों के स्थान पर केवल 1.96 लाख दिनों का दौरा किया था। इसके परिणामस्वरूप 58 *प्रतिशत* की कमी हुई। आगे, 9 राज्यों[2] के 37 जिलों में, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 153 बा.वि.प.अ. ने आं.के. पर कोई भी रात्रि-प्रवास नहीं किया था। पांच राज्यों[3] के 14 जिलों में, 56 बा.वि.प.अ. ने रात को आं.के. पर प्रवास किया था। परन्तु वह अपेक्षित प्रवास का केवल 13 *प्रतिशत* था।

10.8.2 पर्यवेक्षक की भूमिका

स.बा.वि.से. परियोजना का पर्यवेक्षक, कार्य-केन्द्र के मूल-स्तर पर कार्यचालन की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उससे आं.के. के नियमित दौरों की अपेक्षा की जाती है। ऐसे पर्यवेक्षक से महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक आं.के. का दौरा करना तथा महिला स्वास्थ्य आगंतुक (म.स्वा.आ.) को साथ मिलाकर एक आं.के. में सप्ताह में एक बार संयुक्त दौरा करना और अपने मुख्यालय के 5 किलामीटर से अधिक दूरी पर स्थित गाँव में सप्ताह में कम से कम एकबार रात्रि-प्रवास करना अपेक्षित है।

13 राज्यों के 67 जिलों की 271 परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच की गयी। लेखापरीक्षा ने इस संदर्भ में निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ पाईं:

- नौ[4] राज्यों के 40 जिलों में 136 परियोजनाओं के 2099 पर्यवेक्षकों में से, 393 पर्यवेक्षकों ने एक महीने में 25 आं.के. के दौरे नहीं किए थे;
- 40 पर्यवेक्षक एक महीने में 10 आं.के. का दौरा करने में निष्फल हुए थे;
- 475 पर्यवेक्षकों ने किसी भी आं.के. पर साप्ताहिक रात्रि-प्रवास नहीं किया था;

---

[1] आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

[2] आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

[3] कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा तथा राजस्थान

[4] गुजरात-4, हरियाणा-4, मेघालय-3, मध्यप्रदेश-7, ओडिशा-5, राजस्थान-6, पश्चिम बंगाल-5, कर्नाटक-4 तथा उत्तर प्रदेश-2

- 123 पर्यवेक्षकों ने आं.के. में रात्रि-प्रवास तो किया था परन्तु वह साप्ताहिक आधार पर नहीं था।
- तीन राज्यों में पर्यवेक्षकों ने 1.38 लाख दौरों के दौरान औषधि के स्टॉक का निरीक्षण नहीं किया था; तथा
- दो राज्यों में, 180 पर्यवेक्षकों में से (7 जिलों में 28 परियोजनाओं में) 156 ने एक महीने में 25 आं.के.का दौरा नहीं किया था इस मामले में किसी भी पर्यवेक्षक ने किसी भी आं.के. पर साप्ताहिक रात्रि प्रवास नहीं किया था।

आठ राज्यों[5] के 34 जिलों में यह पाया गया था कि, 2006-07 से 2010-11 के दौरान पर्यवेक्षकों के दौरों में कमी 30 से 39 *प्रतिशत* के मध्य तक रही। आगे, लगभग 25 *प्रतिशत* दौरों के संबंध में पर्यवेक्षक क्षेत्रीय दौरा रिपोर्ट को, बा.वि.प.अ. को प्रस्तुत करने में विफल रहे। मध्य प्रदेश के पांच जिलों में, पर्यवेक्षकों आं.के. दौरों के लक्ष्य का केवल 55 *प्रतिशत* ही प्राप्त किया गया था परन्तु क्षेत्रीय दौरा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण से संबंधित डाटा को अभिलेखों में नहीं पाया गया था। बाकि शेष राज्यों में, या तो डाटा अपूर्ण थे या फिर उपलब्ध नहीं थे।

नियुक्त अधिकारियों द्वारा आं.के. के पर्यवेक्षण में कमी से आं.के. के कार्य में सुधार के लिए अपेक्षित दिशा निर्देशों तथा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता से आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) वंचित हो गए।

तथापि, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बा.वि.प.अ. ने पर्यवेक्षक स्टाफ (बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ./पर्यवेक्षक) की अत्याधिक कमी को इस कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिहार में भी, अधूरी मॉनीटरिंग के लिए मार्च 2011 तक पर्यवेक्षकों के 1428 पदों के रिक्त पड़े रहने को उत्तरदायी बताया गया।

10.8.3 लाभार्थियों का डाटाबेस

स.बा.वि.से. के अंतर्गत, सभी परिवारों, विशेष रूप से माताओं और शून्य से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का घरेलू सर्वेक्षण आं.का. द्वारा किया जाना था। आं.के. में इस उद्देश्य के लिए, अनुरक्षित घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टरों, का मासिक अद्यतन आं.के. द्वारा किया जाना था। आगे, घरेलू सर्वेक्षण में आं.का. द्वारा एकत्रित जानकारी को पांच वर्षों में एकबार घर-घर जाकर सर्वेक्षण द्वारा संशोधित किया जाना था। लाभार्थियों का केन्द्रीय डाटाबेस परियोजना/जिला स्तरों पर अनुरक्षित किया जाना था।

आं.के. और परियोजनाओं में 1858 नमूनों की नमूना जाँच से इस संदर्भ में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई -

[5] छत्तीसगढ-2, गुजरात-4, कनार्टक-5, मेघालय-3, ओडिशा-5, राजस्थान-6, हरियाणा-4 और पश्चिम बंगाल-5

- झारखण्ड में, नमूना जांच किए गए 94 आं.के. में से 26 आं.के. में सर्वेक्षण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- 1459 आं.के.[6] में, घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का तीन महीने से एक वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाता था। चार आं.के.[7] में घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का प्रत्येक दो महीनों में अद्यतन किया जाता था।

अच्छा अभ्यास

तीन राज्यों के 204 आं.के. (राजस्थान 125, ओडिशाः 79 और मध्य प्रदेशः2) में घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का हर महीने अद्यतन किया जाता था।

- 56 आं.के.[8] में घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का एक वर्ष में एकबार भी अद्यतन नहीं किया गया था।
- ओडिशा के 198 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 156, मध्य प्रदेश के 280 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 209 और राजस्थान के 240 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 73 ने पिछले सर्वेक्षण के पांच वर्षों पश्चात घर-घर जाकर सर्वेक्षण को दोहराया नहीं था।

आगे, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में लाभार्थियों के एक केन्द्रीय डाटाबेस का अनुरक्षण, नमूना जांच की गई परियोजनाओं द्वारा (आन्ध्र प्रदेशः 31, बिहारः 24, छत्तीशगढ़ः 12, मध्य प्रदेशः 28 में से 27, ओडिशाः 20 में से 16, राजस्थानः 24 में से 2, उत्तर प्रदेशः 32 और पश्चिम बंगालः 20) नहीं किया गया था।

मूल-स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा आवधिक घरेलू सर्वेक्षण तथा परियोजना द्वारा उसकी मॉनीटरिंग के माध्यम से लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका।

10.8.4 आधारभूत सांख्यिकीय सूचना

आं.के. को आधारभूत सांख्यिकीय सूचना का अनुरक्षण करना था जैसे कि जन्म, वजन, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव और स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के पश्चात औपचारिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन।

आं.के. की नमूना जांच से पता चला कि यह आधारभूत सांख्यिकीय सूचना बहुत से आं.के. में उपलब्ध नहीं थी जैसा कि नीचे दिया गया हैः

- छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश में संबंधित आं.के. के सर्वेक्षण रजिस्टरों का अनुरक्षण तथा बाल जनसंख्या, जीवित-जन्म, मृत-जन्म, किशोरियां, गर्भवती एवं स्तनपान

[6] आन्ध्र प्रदेशः 270, बिहारः 240, छत्तीसगढ़ः 60, गुजरातः 160, मध्यप्रदेशः 250, ओडिशाः 77, राजस्थानः 77, राजस्थानः 105 तथा उत्तर प्रदेशः 297

[7] राजस्थानः 2 तथा मध्य प्रदेशः 2

[8] आन्ध्र प्रदेशः40, राजस्थानः5, उत्तर प्रदेशः2 और मध्य प्रदेशः 9

कराने वाली माताएं, इत्यादि का उल्लेख अनुरक्षण रजिस्टर में नहीं किया गया था।

- राजस्थान के 109 नमूना जांच किए गए आं.के. और ओडिशा के 17 नमूना जांच किए गए आं.के. में बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में नामांकन के डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

इसलिए, योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आधारभूत डाटा आं.के. के पास उपलब्ध नहीं था।

10.8.5 रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आं.के. को प्रत्येक माह के अंत में प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.), तिमाही (ति.प्र.रि.), अर्द्ध-वार्षिक(अ.वा.प्र.रि.) और वार्षिक (वा.प्र.रि.) को परियोजना प्रभारी को नियत समय में प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

11 राज्यों[9] में 55 जिलों के 225 चयनित परियोजनाओं में यह देखा गया कि, लगभग 70 *प्रतिशत* आं.के. ने ति.प्र.रि., अ.वा.प्र.रि. उच्च प्राधिकरणों को प्रस्तुत नहीं किए थे। इसकी तुलना में, मा.प्र.रि. के प्रस्तुतीकरण की स्थिति संतोषजनक पाई गई क्योंकि 84 से 88 *प्रतिशत* आं.के. मा.प्र.रि. को नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे थे।

मध्य प्रदेश में, 7 जिलों में 28 परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली 280 आं.के. ने कोई ति.प्र.रि., आ.वा.प्र.रि. और वा.प्र.रि. को कभी भी प्रस्तुत नहीं किया था। पांच जिलों, झारखण्ड (3) तथा उत्तर प्रदेश (2) में 20 चयनित परियोजनाओं की रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित जानकारी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। 55 जिलों का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध 10.3** में दिया गया है।

10.8.6 अभिलेखों का अनुरक्षण

आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) को आं.के. पर प्रदत्त सेवाओं के अभिलेखों और रजिस्टरों का अनुरक्षण करना होता है। यह अभिलेख और रजिस्टर, सेवाओं के उपयोग और पहुंच का आकलन; महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों से संबंधित डाटा तक पहुँच; पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा; और स्वयं के कार्य का आकलन करने में सहायता करते है।

यह अभिलेख/रजिस्टर मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए अपेक्षित जानकारी और डाटा को उपलब्ध करवाते हैं।

13 राज्यों के 67 जिलों में 2713 नमूना जांच किए गए आं.के. में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चयनित आं.के. में अभिलेख अनुरक्षण संतोषजनक नहीं था। 2006-07 से

[9] आन्ध्र प्रदेशः 6, बिहारः 6, छत्तीसगढ़ः 3, गुजरातः 4, हरियाणाः 4, कर्नाटकः 7, मेघालयः 3, ओडिशाः 5, राजस्थानः 6, उत्तर प्रदेशः 6 और पश्चिम बंगालः 5

2010-11 की अवधि के दौरान, समुचित रूप से रजिस्टर/अभिलेखों को अनुरक्षण कर रहे आं.के. की सीमा 678 (25 *प्रतिशत*) और 1826 (67 *प्रतिशत*) के बीच रही। शेष आं.के. या तो अपेक्षित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रहे थे या फिर अनुरक्षण अनुचित था। आं.के. में अभिलेखों के अनुरक्षण की सीमा को नीचे दिए गये चित्र में दिर्शाया गया है:

चार्ट 10.2: आं.के. में अभिलेखों का अनुरक्षण

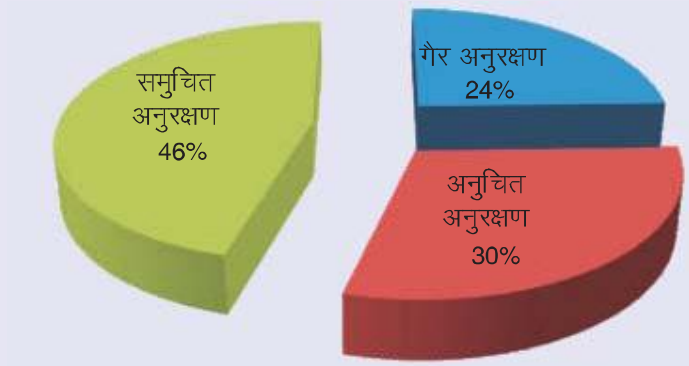

अभिलेखों का अनुरक्षण गुजरात, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से खराब था, जहां पर कोई भी रजिस्टर समुचित रूप से अनुरक्षित नहीं था। बिहार में दौरा किए गए आं.के. में, आंगनवाडी खाद्य स्टॉक रजिस्टर के अलावा, और काई भी अभिलेख समुचित रूप से अनुरक्षित नहीं था। आं.के. में रजिस्टरों के अनुरक्षण की स्थिति की विस्तृत सूची **अनुबंध 10.4** में दी गई है।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि पांच-टियर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण योजना की शुरूआत तथा संशोधित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) की शुरूआत, राज्य, जिला, परियोजना और आं.के. के स्तरों पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) और पर्यवेक्षकों के फील्ड दौरों समेत सभी कमियों को दूर करेंगे।

अनुशंसाएं

- ***मंत्रालय को बा.वि.प.अ. और पर्यवेक्षकों के फील्ड दौरों की मॉनीटरिंग के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए।***
- ***आं.के. स्तर पर अभिलेखीकरण में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।***